आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र, प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्र संख्या/संविशिवनिव/ 2013—14 दिनांक : 05/06/90/3 विषयः गुरूकुल एकेडमी डेहवा मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ को सीवबीवएसवईव नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापित प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित करना है कि उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपति नहीं है :-

- 1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित लाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०, माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी।
- 5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नदीं दिवे जायेंगे।
- 6. कर्मचारियों की सेवा-विनियगावली बनायी जायेगी और उन्हें सहायता-प्राप्त अशाासकीय उच्च. ... के के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किन्दे ज्योंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।
- जनहित याचिका संख्या—483 / 2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.4.2009 के अनुपालन में

53-mon14

N.O.C

Gurukul Academy
Dehwa, Mohanlalgani
Lucknow-226301
Founder/Manager

Principal
Gurukul Academy
Dehwa, Mohanialgani
Lucknow-226304